राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,
आई.टी.शाखा, मुख्यालय,जयपुर।

क्रमांक :– एफ3 / मुख्या. / आई.टी. / 45 / 23 / 215 दिनांक :– 19 .04.2023

मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
. . . . आगार।

विषयः— दिनांक 24.04.2023 से 30.06.2023 तक "प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021" के तहत आयोजित शिविरों में आरएफआईडी कार्ड के पंजीयन बाबत्।

प्रसंगः— श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव के प0 12(9)राज.—1/2023 जयपुर दिनांक 12.04.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023—24 के प्रावधानों को जन—जन तक पहुचाने के लिये राज्य भर में दिनांक 24.04.2023 से 30.06.2023 तक मंहगाई राहत कैम्प, प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान परिवहन निगम की निःशुल्क/रियायती यात्राओं के लिए आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड की सेवा को पूर्व की भांति सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्त क्रम में समस्त आगारों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आपके क्षेत्र में लगने वाले कैम्प की जानकारी लेकर आगार स्तर से कर्मचारियों की ड्यूटी लगायेंगे। आगार कार्मिक द्वारा परिशिष्ठ'अ' के अनुसार पात्र आवेदक के नियमानुसार दस्तावेज (मुख्यालय द्वारा जारी निःशुल्क/रियायती श्रेणी की सूची) एकत्रित कर आईटी शाखा द्वारा प्रेषित यूजरनेम/पासवर्ड के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर स्मार्ट कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। आगार द्वारा यथासंभव ऐसे कार्मिकों की ही ड्यूटी लगाई जावे जो आगारस्तर पर आरएफआईडी रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्य करते हो, जिससे इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब ना हो। पात्र आवेदकों के स्मार्ट कार्ड मुख्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन दिनांक से सात दिवस में आगार को वितरण हेतु उपलब्ध करवा दिये जायेगे, साथ ही कार्मिक आगार स्तर पर बने स्मार्ट कार्डस् को भी अपने साथ केम्प मे ले जाकर वितरण करना सुनिश्चित करेगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न :— परिशिष्ठ —'अ' (आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड पंजीयन दिशा —निर्देश)
परिशिष्ठ —'ब' (आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड पंजीयन फॉर्म)
परिशिष्ठ —'स' (जिला—वार प्रारूप)

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक :— एफ3 / मुख्या. / आई.टी. / 45 / 23 / 215 दिनांक :— 19.04.2023
प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (यातायात), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जन—सम्पर्क), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स एम—टेक इनोवेशनस् लि., निगम डाटा सेन्टर, जयपुर।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

परिशिष्ठ 'अ'

आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड पंजीयन – दिशा –निर्देश

1. आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से (निगम कर्मी द्वारा) –

    1. निगम कर्मचारी द्वारा https://rsrtcrfidsystem.co.in/Login.aspx पर आईटी शाखा द्वारा प्रेषित लॉगिन आईडी से लॉगिन कर इस पोर्टल का उपयोग शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाना है।
    2. निगम कर्मचारी द्वारा इस पोर्टल का उपयोग करने पर पात्र आवेदक का ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड का शुल्क रू. 40/– निगम कार्मिक द्वारा नगद प्राप्त की जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
    3. यदि आवेदक स्वयं के पते पर आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी चाहता है तो निगम कर्मी द्वारा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के निर्धारित शुल्क रू. 40/– के साथ अतिरिक्त पोस्टल चार्जेज शुल्क रू. 75/– अर्थात पात्र आवेदक द्वारा कुल रू. 115/– का भुगतान किया जाना है।
    4. प्राप्त आवेदन आपके आगार एडमिन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, जिसके दस्तावेजों की जांच उपरान्त Approve की सूचना एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
    5. आवेदक की एप्लीकेशन के Approved होने की स्थिति में कार्ड प्रिन्ट होने के लिए मुख्यालय पर प्राप्त हो जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से प्रिन्ट किया जाकर सात दिवस में आगार/आवेदक के पते पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

2. कैम्प में प्राप्त मैन्युअल आवेदन :–

    1. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शिविर में कम्प्यूटर/ईन्टरनेट की व्यवस्था के अभाव/सेवा बाधित होने की दशा में निगमकर्मी द्वारा निर्धारित फॉर्म परिशिष्ठ 'ब' में पात्र आवेदक से सम्बन्धित श्रेणी के दस्तावेज एवं फोटो प्राप्त कर आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड शुल्क रू. 40/– निगम कर्मचारी द्वारा कैश लिया जाकर रसीद सम्बन्धित आवेदक को प्रदान कर दी जावेगी। इस स्थिति में आवेदन द्वारा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड आगार कार्यालय से ही प्राप्त करना होगा।
    2. यदि आवेदक स्वयं के पते पर आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी चाहता है तो निगम कर्मी द्वारा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के निर्धारित शुल्क रू. 40/– के साथ अतिरिक्त पोस्टल चार्जेज शुल्क रू. 75/– अर्थात पात्र आवेदक द्वारा कुल रू. 115/– का भुगतान किया जाना है।
    3. निगम कर्मचारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त हुए समस्त आवेदनों को आगार स्तर पर आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उसी दिन सायंकाल तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
    4. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् मुख्यालय स्तर से कार्ड प्रिन्ट किया जाकर सात दिवस में सम्बन्धित आगार/आवेदक के पते पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

नोट :– निगम कर्मी प्रतिदिवस प्राप्त आवेदन, जारी किये गये कार्ड एवं पूर्व में जारी किये गये कार्ड का विवरण परिशिष्ठ 'स' के अनुसार शिविर प्रभारी एवं मुख्य प्रबन्धक को प्रेषित करेंगे एवं मुख्य प्रबन्धक शिविर की सूचना एकजाई कर एक प्रति मुख्यालय को ई–मेल **rsrtc.pgks@gmail.com** पर भी प्रेषित करेंगे।

परिशिष्ट-'ब'

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

रियायती / निःशुल्क यात्रा हेतु आरएफआईडी पंजीकरण प्रपत्र

प्रथम नाम First Name		फोटो
मध्य नाम Midle Name		
अन्तिम नाम Last Name		
जन्म दिनांक Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
स्थायी पता Permanent Address		
कार्ड धारक की श्रेणी Category of card holder		
पहचान हेतु प्रस्तुत प्रमाण Proof of Identity		
लिंग (स्त्री / पुरूष) Gender (Male/Female)		
दुरभाष नं. Mobile No.		
ई–मेल E-Mail		
आगार कार्यालय से प्राप्त करने पर स्मार्ट कार्ड शुल्क	रू. 40 / –	
स्मार्ट कार्ड होम डिलीवरी हेतु शुल्क	1. स्मार्ट कार्ड चार्ज राशि रू. 40 / –, डिलीवरी चार्जेज राशि रू. 75 / –, कुल रू. 115 / – 2. कार्ड घर के पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा।	
मेरे द्वारा की गई समस्त प्रविष्टि सही है एवं मुझे सहर्ष स्वीकार है।	हस्ताक्षर	

- -

(निगम कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा)

आवेदक का नाम .... पता.. ....

आवेदन क्रमांक ....श्रेणी .... का प्राप्त हो गया है।

निगम कर्मचारी हस्ताक्षर
मय सील

परिशिष्ठ 'स'

राजस्थान सरकार
प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021

दैनिक	सम्पूर्ण

रोडवेज विभाग (जिला–वार)

दिनांकः–........................

आयोजित कैम्प का स्थान :– . . . .

क्रंसं.	जिला	पात्र विशेष योग्यजन		पात्र वरिष्ठ नागरिक		अन्य पात्रजन		पूर्व में निर्मित वितरित कार्ड की संख्या
		पास के लिये प्राप्त आवेदन	जारी किये गये पास	पास के लिये प्राप्त आवेदन	जारी किये गये पास	पास के लिये प्राप्त आवेदन	जारी किये गये पास	
	कुल							

परिशिष्ट “द”

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

आई.टी.शाखा, मुख्यालय जयपुर।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आई.टी.शाखा, मुख्यालय के पत्र क्रमांक 215 दिनांक 19.04.2023 के परिशिष्ट “अ” के बिन्दु संख्या 2. कैम्प में प्राप्त मेन्युअल आवेदन के क्रम में क्रम में –

1. आगार स्तर RFID एप्लीकेशन पर आवेदन करने जो आवेदन “प्रशासन गाँवों के संग” अभियान में अन्तर्गत रजिस्टर किये जाने उसके लिये आगार स्तर RFID एप्लीकेशन पर Request From मेन्यु में “प्रशासन गाँवों/शहरों के संग में प्राप्त आवेदन” पर चेक मार्क लगाना है एवं जो कार्ड कैम्प में नहीं प्राप्त हुए हो उनमे “साधारण आवेदन” पर चेक मार्क लगाकर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें –

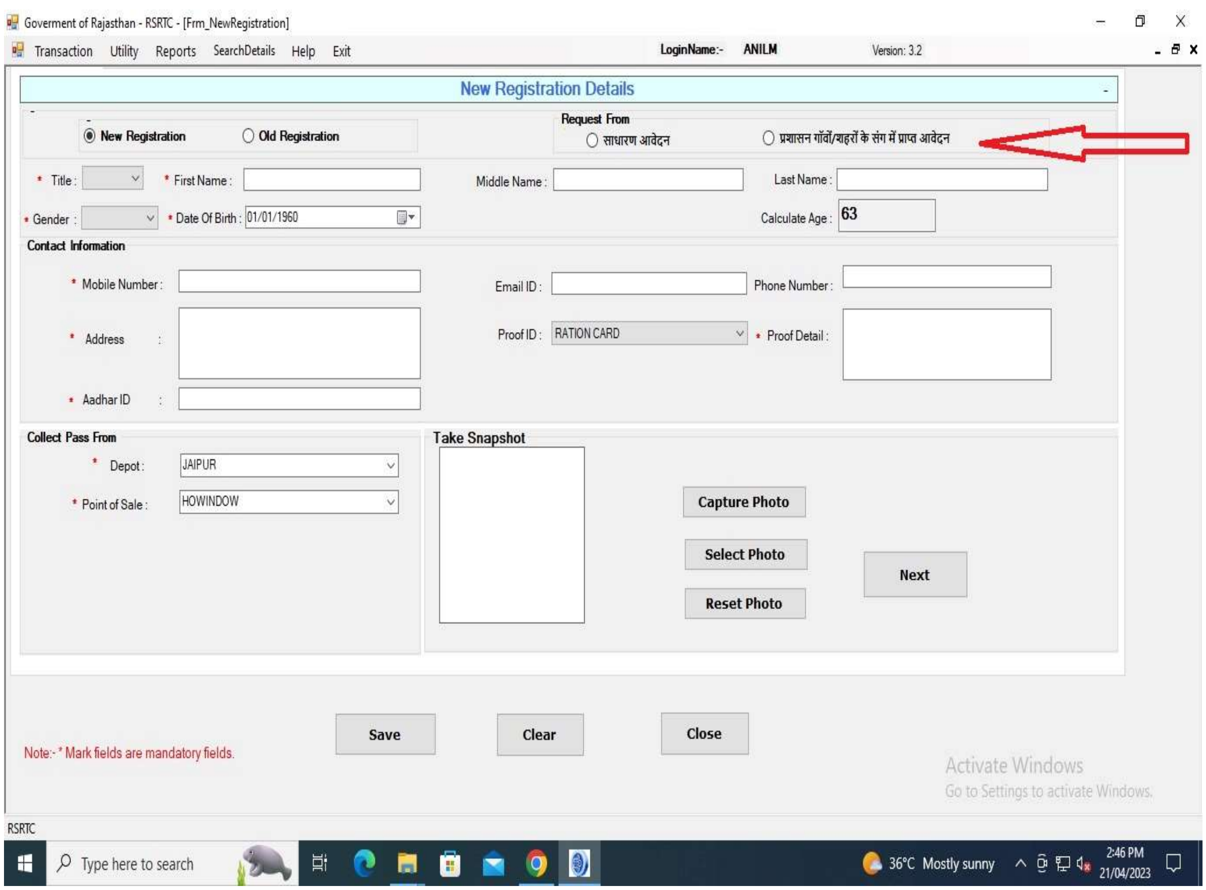

2. उपर्युक्त प्रक्रिया के दौरान किये गये आवेदन पश्चात दैनिक रूप से निकलने वाली Daily Transaction Report निम्नानुसार निकलेगी जिसमे साधारण आवेदन “S” श्रेणी में आयेंगे तथा कैम्प के दौरान प्राप्त आवेदन जिनका रजिस्टर डिपो RFID एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ है वो “P” श्रेणी में प्रदर्शित होंगे –

Daily Transaction Report

User Name:- ANILM
Transaction Type :- All
Depot Name:- **JAIPUR**
Date Period:- **21/04/2023 To 21/04/2023**

Srno	Tranction Date	Card_Number	Req Form	Name	Concession Name	Recharge Amount	Card Fees	Duplicate Registration	Total Amount
1	21-04-2023	29170000000770	S	PRAHALAD SINGH	VARISHTHA NAGR	0	0	0.00	0.00
2	21-04-2023	29210200007948	S	GURU DAYAL	RAJASTHAN POLI(	0	0	0.00	0.00
3	21-04-2023	29210200010328	S	PARVATI CHOUDHARY	RAJASTHAN POLI(	0	0	120.00	120.00
4	21-04-2023	29230200002000	S	PRAHALAD NARAIN SHARMA	VARISHTHA NAGR	0	40	0.00	40.00
5	21-04-2023	29230200002001	S	MANSHI SHISHODIA	National Scout and	0	40	0.00	40.00
6	21-04-2023	29230200002002	S	KRISHNA PAL SINGH KUSHWAHA	VARISHTHA NAGR	0	40	0.00	40.00
7	21-04-2023	29230200002003	S	MANNA LAL KOLI	VARISHTHA NAGR	0	40	0.00	40.00
8	21-04-2023	29230200002004	P	TEST	VARISHTHA NAGR	0	40	0.00	40.00
						0.00	200	120.00	320.00

Abbrevation:- ReqForm: = (S := साधारण आवेदन and P := प्रशासन गाँवों/शहरों के संग में प्राप्त आवेदन)

Printed By: HOWINDOW Printed On: 21/04/2023 02:38:58